

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 53 खाता विभाजन  
डिक्री**

दिनांक :- 4/11/2025

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार खाता विभाजन की जाती है कि -

वादीगण को चक 9 पीबीएन-बी के खाता सं. 42/25 के प.नं. 43/309 किला नं. 14/1/.190 पूर्व दिशा, 15/1/.0835 पश्चिम दिशा, 16/1/.0835 पश्चिम दिशा, 17/1/.190, 21/2/.025, 22, 23, 24/.177, 25/.022 पश्चिम दिशा की कुल 1.277 हैक्. भूमि में वादी संख्या 1 को 0.076 हैक् व वादी संख्या 2 व 3 को 1.201 हैक् बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी से खाता तकसीम कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश पारीत किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 4/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

( उमा मित्तल )  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

